न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/502

महावीर आत्मज कल्याण जी जाति नाई निवासी ग्राम अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

बजरंगी बाई पुत्री कल्याण जी पत्नी नन्दकिशोर जाति नाई निवासी राज राजेश्वर रोड के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री प्रदीप मेहरा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री रामदयाल शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 18.01.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 1543 रकबा 1.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 1544 की रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 1891 की रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 1892 रकबा 0.10 हैक्टर कुल 04 किता की रकबा 1.84 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादी का 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी कम 1/4 हिस्सा दर्ज है । वादी सम्पूर्ण खाते की आराजी पर बहैसियत मालिक काबिज है । उक्त भूमि कल्याण जी को आवंटन हुई थी । आवंटन की समस्त राशि जमा नहीं करवाई थी इसी बीच वादी के पिता का देहावसान दिनांक 14.04.1992 को हो गया । वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता कल्याण जी ने उनकी स्वअर्जित भूमि होने के कारण अपनी मृत्यु से पूर्व सभी उत्तराधिकारियों को बुलाकर अन्तिम इच्छा व्यक्त की कि मेरे मरने के बाद उक्त विवादित भूमि का एकमात्र मालिक महावीर होगा परन्तु प्रतिविादिनी की नियत में खोट आ जाने के कारण उसने खाते में अपना 1/4 हिस्सा दर्ज करवा लिया जो गलत है । उक्त भूमि वादी के पिता की स्वअर्जित भूमि है जिस पर वादी ही काबिज काश्त है । प्रतिवादिनी उक्त भूमि पर अपना नाम दर्ज होने से उक्त भूमि को खुर्द–बर्दु करने तथा बेचान करने पर आमादा है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार कर वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में से 1/4 हिस्से से प्रतिवादिनी का नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण आराजी का वादी के खाते में दर्ज की जावे तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादिनी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह 1/4 हिस्से की आराजी को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण एवं खुर्द–बुर्द नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2017 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2017 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पिता को आवंटित की गई थी और उन्होंने आवंटन की समस्त राशि जमा करवाई थी । वादी अपीलान्ट उक्त भूमि पर अपने पिता के समय से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । रेस्पोडेन्ट का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । रेस्पोडेन्ट के उक्त भूमि से हक हकूक व अधिकार आउस्ट हो चुके हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को बिना सुन व साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बिना ही लोक अदालत में निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 12.09.2017 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादी अपीलान्ट का 3/4 हिस्सा है । 1/4 हिस्से पर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट का नाम गलत तरीके से अंकित किया गया है जिसको दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी का नाम हटा कर सम्पूर्ण आराजियात का वादी को खातेदार घोषित किया जाना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट का 1/4 हिस्सा मानकर दावा वादी खारिज करने में त्रुटि की है । आराजी अपीलान्ट वादी के पिता को आवंटित की थी, आवंटन की समस्त राशि अपीलान्ट के द्वारा जमा करवाई गई थी । अपीलान्ट इस आराजी पर निरन्तर काश्त कर रहा है । मौखिक वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में की गई है ।

राजस्व कर्मचारियों ने गलती से प्रतिवादिनी रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज कर दिया है । दावे में अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा पेश किया गया था । तनकी कायम कर साक्ष्य ली जानी थी परन्तु इसे लोक अदालत में रखकर निर्णय पारित किया गया है । लोक अदालत की अपीलान्ट को सूचना नहीं दी गई, सीपीसी की पालना नहीं की गई । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है । प्रतिवादिनी रेस्पोडेन्ट का नाम सही तौर पर दर्ज हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15. 06.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट के द्वारा हक घोषणा का दावा पेश किया गया था । प्रतिवादी के द्वारा इसमें जवाबदावा पेश किया गया था । पत्रावली कायम तनकीयात में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारों में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है और उसी दिन दावा खारिज करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है । उक्त वाद में न तो वादीगण के द्वारा विभाजन की सहायता मांगी गई है और न ही प्रतिवादी ने विभाजन के लिए कोई काउन्टर क्लेम पेश किया है । लोक अदालत में न तो पक्षकार उपस्थित हुए हैं और न ही उन्होंने कोई राजीनामा पेश किया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभयपक्ष उपस्थित होकर विधिक रूप से राजीनामा पेश करें । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 11.03.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 18.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/1/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा